न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

**अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–488/2026**
**पलासी थाना कांड संख्या– 70/2026**

बीबी संजीदा खातून उर्फ साईदा एवं 09 अन्य..... आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

**आदेश**

**09-04-2026** आवेदकगण/अभियुक्तगण 1.बीबी संजीदा खातून उर्फ साईदा, 2.तेहरून निशा, 3.मसुदा, 4. मो0 रिजवान उर्फ रिजवान, 5.मो0 बदरूद्दीन उर्फ बदरूद्दीन, 6.मो0 मुस्ताक आलम उर्फ मुस्ताक, 7.मो0 असफाक उर्फ इसफाक, 8.अलमुस उर्फ आलम, 9.बीबी कुलसुम उर्फ कुलसुम एवं 10.बीबी किसमति खातून उर्फ बीबी किसमति की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो पलासी थाना कांड संख्या– 70/2026, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 109, 74, 303(2), 352, 351(2)&(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शाह मो0 शाकीर आलम एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका मुन्नी बेगम के अनुसार यह है कि दिनांक 15. 02.2026 को समय करीब 01 बजे दिन में मजदूर को लेकर अपनी जमीन में देडी पर्छ लगवा रही थी कि अचानक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण मजदूर को देडी पर्छ लगवाने से मना करने लगे और गाली–गलौज भी करने लगे। अभियुक्तगण सूचिका का बाल पकड़कर जमीन पर पटककर फाईट–मुक्का से मारपीट करने लगे। इसी क्रम में जान मारने की नियत से धारदार दबिया से मारकर माथा जख्मी कर दिया। बचाने आया उसका भाई दिलशाद से उसे अरशद ने तव्वल से मारकर माथा जख्मी कर दिया तथा उसका भाई दिलवर भी आया तो उसे भी फाईट–मुक्का एवं लाठी से मारपीट किया। मारपीट के क्रम में पहना हुआ समीज रिजवान ने बुरी नियत से चीड़फाड़ कर अर्द्धनग्न कर दिया तथा गले से चांदी का चेन मुस्ताक ने छीन लिया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घ ाटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण द्वारा इसके अलावे इससे पूर्व कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल

नहीं किया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदकगण को भूमि विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्ष एक–दूसरे के विरूद्ध कई केस किये हैं। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण पर लगाये गये सभी धारायें जमानतीय हैं, सिवाय धारा 109, 74, 303 भा0न्या0सं का। धारा 74, 303 भा0न्या0सं0 आभूषणात्मक है एवं मामले को गंभीर बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद है तथा दूसरे पक्ष के तरफ से भी आवेदकगण पर केस किया गया है। आवेदिका बीबी संजीदा के विरूद्ध अधिकतम चार मामले पूर्व से लंबित है। यह सभी जमीनी विवाद से उत्पन्न हुए हैं। किसी के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सभी जख्म साधारण प्रकृति का है। कोई भी हमला दोहराया नहीं गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि वे अन्वेषण में सहयोग करेंगे। आवेदकगण को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।